अनुदान संख्या 24 – इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
GRANT No. 24 - MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	6306,00,00	6306,04,00	5531,70,25	-774,33,75
पूरक	Supplementary	4,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				744,54,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	348,00,00	348,01,00	266,59,91	-81,41,09
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				70,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय–आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	108024.00	118341.00	117527.26	-813.74
पु.	R.	10317.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3454" जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	Major Head "3454" Census Surveys and Statistics				
मू.	O.	122700.00	83678.00	83678.00	..
पु.	R.	-39022.00			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	37510.00	2.00	..	-2.00
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-37510.00			
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	362366.00	354129.00	351964.99	-2164.01
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-8239.00			

(I) ₹37512.00 लाख का प्रावधान (नवंबर, 2019 तथा मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) मुख्य शीर्ष "2552" – "दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग – इलेक्ट्रॉनिकी – डिजीटल इंडिया कार्यक्रम" के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹37512.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020) remained wholly unutilized in one case under Major Head "2552" - "Telecommunication and Electronics Industries - Electronics - Digital India Programme" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय" के अंतर्गत – ₹1459.94 लाख की बचत (₹11024.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए नियुक्त वैज्ञानिकों की ज्वाइनिंग में देरी होने,

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Electronics and Information Technology" - saving of ₹1459.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11024.00 lakhs) was due to late joining

पदोन्नति में देरी होने, छुट्टी यात्रा रियायत के दावे कम संख्या में प्राप्त होने तथा वार्षिक अनुरक्षण संविदाओं, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन की मरम्मत/नवीकरण के लिए कम निधियों की आवश्यकता तथा कोविड–19 लॉकडाउन के कारण बिलों की प्राप्ति न होने की वजह से हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3454" – "सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी – विशिष्ट पहचान स्कीम – भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण" के अंतर्गत – ₹39022.00 लाख की बचत (₹122700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थापना तथा आधार सक्षम सेवाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, मशीनरी तथा उपकरणों की कम अधिप्राप्ति किए जाने और पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2852" – "दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "इलैक्ट्रॉनिकी" –

(क) "डिजीटल इंडिया कार्यक्रम" – ₹921.13 लाख की बचत (नवंबर, 2019 तथा मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹265501.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने, डिजीटल भुगतान के प्रोत्साहन के लिए प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त होने में विलंब होने, कम विज्ञापन और प्रचार अभियान किए जाने तथा कम संख्या में संविदागत कर्मचारी लिए जाने के कारण हुई।

(ख) "विनियामक प्राधिकरण" – ₹2035.50 लाख की बचत (₹16000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने/ भरे जाने में देरी होने, छुट्टी यात्रा रियायत के लिए कम दावे प्राप्त होने, कम संख्या में व्यावसायिकों की सेवाएं लिए जाने, स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियां की आवश्यकता तथा किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

of newly appointed scientists, delay in promotion, receipt of less leave travel concession claims and requirement of less funds towards annual maintenance contracts, repair/renovation of Electronics Niketan and non-receipt of bills owing to COVID-19 lockdown.

(III) Under Major Head "3454" - "Surveys and Statistics - Unique Identification Scheme - Unique Identification Authority of India (UIDAI)" - saving of ₹39022.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹122700.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards establishment and Aadhar enabled services, less procurement of machinery and equipments and availability of unspent balances of previous year.

(IV) Under Major Head "2852" - "Telecommunication and Electronics Industries" - savings occurred under the following heads :-

(A) "Electronics" -

(a) "Digital India Programme" - saving of ₹921.13 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹265501.00 lakhs including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020) was due to receipt of less proposals, delay in receipt of reimbursement claims towards promotion of Digital payments, less advertisements and publicity campaigns and less engagement of contractual staff.

(b) "Regulatory Authorities" - saving of ₹2035.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16000.00 lakhs) was due to non/late filling up of vacant posts, receipt of less claims towards leave travel concession, less hiring of professionals, requirement of less funds towards establishment related expenses and economy measures.

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – डिजीटल इंडिया कार्यक्रम" – ₹4790.86 लाख की बचत (₹31135.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुदानग्राही संस्थाओं से प्रस्तावों की देरी से प्राप्ति होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राकलन चरण में की गई कटौती के कारण हुई।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Digital India programme" - saving of ₹4790.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31135.00 lakhs) was due to late receipt of proposals from grantee institutions and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – डिजीटल इंडिया कार्यक्रम" – ₹3980.52 लाख की बचत (₹25132.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जनजातीय गांवों में डिजीटल साक्षरता कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए अनुदानग्राही संस्थाओं से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने/उनकी देरी से प्राप्ति होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में की गई कटौती के कारण हुई।

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Digital India Programme" - saving of ₹3980.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25132.00 lakhs) was due to non-receipt/late receipt of viable proposals for conducting digital literacy programmes in Tribal Villages from grantee institutions and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1325.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2852" – "दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग – इलेक्ट्रॉनिकी – स्वायत्त तथा अन्य निकायों को सहायता" के अंतर्गत मार्च, 2020 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2.(I) The above savings were partly (₹1325.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2020 under Major Head "2852" - "Telecommunication and Electronic Industries - Electronics - Assistance to Autonomous and Other Bodies".

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3451" – "संबद्ध कार्यालय – राष्ट्रीय सूचना केन्द्र" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹10963.20 लाख का अधिक व्यय (₹97000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पदोन्नत किए गए वैज्ञानिकों को बकाया के भुगतान, डिजीटल इंटर्नशिप कार्यक्रम, वैज्ञानिकों के विदेश प्रशिक्षण, सुविधा प्रबंधन सेवाओं के लिए बकाया का भुगतान किए जाने और बैंडविड्थ प्रभारों से संबंधित लंबित बिलों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3451" - "Attached Offices - National Informatics Centre (NIC)" - excess of ₹10963.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹97000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of arrears to promoted scientists, digital internship programme, foreign training of scientists, outstanding payments for Facility Management Services and settlement of pending bills in respect of bandwidth charges.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4859"	Major Head "4859"				
दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries				
मू.	O.	16800.00	8800.00	7719.73	-1080.27
पु.	R.	-8000.00			
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	18000.00	19001.00	18940.18	- 60.82
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	1000.00			

(I) मुख्य शीर्ष "4859" – "इलेक्ट्रॉनिकी – अनुसंधान और विकास" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "एसटीक्यूसी तथा अन्य परियोजनाओं के लिए मशीनरी और उपकरण" – ₹876.25 लाख की बचत (₹5300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 फैलने के कारण हार्डवेयर मदों की प्राप्ति न होने के कारण और लगाए गए प्रतिबंधों के कारण हुई।

(खा) "इलेक्ट्रॉनिकी तथा आई टी हार्डवेयर विनिर्माण (एमएसआईपीएस, ईडीएफ तथा क्लस्टर विनिर्माण) को प्रोत्साहन" – ₹8000.00 लाख की बचत (₹11000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेंचर केपिटल फंड की ओर से आगे निवेश के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने और इलेक्टॉनिकी विकास निधि में कम निवेश के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4859" - "Electronics - Research and Development" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Machinery and Equipment for STQC and other Projects" - saving of ₹876.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5300.00 lakhs) was due to non-receipt of hardware items in view of outbreak of COVID-19 and the imposed restrictions.

(B) "Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF and Cluster Manufacturing)" - saving of ₹8000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11000.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from Venture Capital Fund for further investments and less investments in Electronics Development Fund.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1000.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "5475" – "मशीनरी तथा उपकरण – राष्ट्रीय सूचना केन्द्र" – के अंतर्गत मार्च, 2020 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, अधिक व्यय, ₹939.18 लाख था।

4. The above savings were partly (₹1000.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2020 under Major Head "5475" - "Machinery and Equipments - National Informatics Centre (NIC)". Actual excess, however, was ₹939.18 lakhs.